राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

निविदा संख्याः एफ.6(1)245 / CC / 2014 / 8 दिनांक : 11.12.2014

कसनऊ–मातासुख लिग्नाईट परियोजना

नागौर के लिए

एक (01) मिनी बस (21–सीटर) किराये पर लेने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा खुलने की तिथि 13.02.2015 समयः 3.30 बजे.
स्थान : खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) का मूल्य :– रूपये 1140 / – मू.सं.कर(अप्रतिदेय)
(अक्षरे रूपये ग्यारह सौ चालीस मात्र मूल्य सवंर्धित कर VAT सहित)

लिग्नाईट एसबीयू–पीसी कार्यालय खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर– 302005	रजिस्टर्ड कार्यालय, आर.एस.एम.एम. लिमिटेड़, सी–89–90,जनपथ, लालकोठी स्कीम, जयपुर–302015

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

CIN No. U14109RJ1949SGC000505

फोन : 0141–2227938, 2227947, 2227627 फैक्स : 0141–2227761

E-mail : rsmmljpr@sancharnet.in

निविदा संख्याः एफ.6(1)245 / CC / 2014 / 8 दिनांक : 11.12.2014

निविदा सूचना

कम्पनी की कसनऊ–मातासुख लिग्नाईट माईन्स, नागौर पर **तीन वर्ष** की अवधि हेतु निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिष्ठित एवं अनुभवी ठेकेदारों से सम्बन्धित कार्यानुसार मोहरबन्द निविदाऐं आमन्त्रित की जाती हैं :–

कार्य का संक्षिप्त विवरण	**निविदा विक्रय की समयावधि**	**बयाना राशि**	**कार्य अवधि एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि**
इक्कीस (21) सीट क्षमता की एक (01) मिनी बस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नागौर से खान तक ड्यूटी पर लाने व ले जाने के लिए किराये पर लेने हेतु । मॉडल वर्ष 2014 अथवा बाद का होना आवश्यक हैं ।	21.01.2015 से 13.02.2015 अपरान्ह **1.00** बजे तक निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 13.02.2015 को अपरान्ह **3.00** बजे तक	रू. 74,060 / – निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) का **मूल्य :– रूपये 1140 / –** मू.सं.कर (अप्रतिदेय)	**03 (तीन) वर्ष** **रूपये 37.03 लाख**
निविदा खोलने की तिथि	**दिनांक : 13.02.2015 अपरान्ह 3.30 बजे**		

निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय खनिज भवन, जयपुर में प्रार्थना पत्र (दो प्रतियों में) प्रस्तुत कर निविदा में निर्देशित राशि नकद अथवा राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई–पेमेन्ट देकर प्राप्त कर सकते हैं । निविदा सूचना तथा अन्य शर्ते हमारी website-www.rsmm.com एवं www.sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है । वेब–साइट से डाउन–लोड किये गये फार्म की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य निविदा में निदेर्शित मूल्य का ड्राफ्ट अलग से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करके भेजें ।

प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन–अनुबन्ध)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
एसबीयू–पीसी लिग्नाईट
खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005
CIN No. U14109RJ1949SGC000505
फोन : 0141–2227938, 2227947, 2227627 फैक्स : 0141–2227761

E-mail : rsmmljpr@sancharnet.in

निविदा संख्याः एफ.6(1)245 / CC / 2014 / 8 दिनांक : 11.12.2014

विस्तृत निविदा सूचना

कार्य का संक्षिप्त विवरण	निविदा विक्रय की समयावधि	बयाना राशि	कार्य अवधि एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि
कसनाऊ–मातासुख लिग्नाईट परियोजना पर इक्कीस (21) सीट क्षमता की एक (01) मिनी बस किराये पर लेने हेतु जोकि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नागौर से खदान पर सामान्य एवं अन्य पारियों में लाने एवं ले जाने के लिए प्रयुक्त होगी एवं जिसका एक ट्रिप (आना– जाना) 100 ± 5 कि.मी. का माना जाएगा। **मॉडल वर्ष 2014 (कलेण्डर वर्ष) अथवा बाद का होना आवश्यक है ।**	21.01.2015 से 13.02.2015 अपरान्ह **3.00** बजे तक निविदा प्रस्तुत करने की तिथि **13.02.2015** को अपरान्ह **3.00** बजे तक	रू. 74,060 / – निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) का **मूल्य :– रू. 1140 / –** मू.सं. कर (अप्रतिदेय)	**03 (तीन) वर्ष** रूपये 37.03 लाख
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 13.02.2015 अपरान्ह 3.30 बजे		
सम्पर्क अधिकारी– प्रबन्धक(का. एवं प्र.–अनुबन्ध)	दूरभाष– (0141) 2227627, e-mail: **rsmmljpr@sancharnet.in**		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्ते हमारी website- www.rsmm.com or www.sppp.raj.nic पर देखी जा सकती है ।			

निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है ।

अहस्तान्तरणीय निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से अप्रतिदेय (नोन–रिफन्डेबल) मूल्य रूपये 1140 / – (मू0सं0 कर VAT सहित) का भुगतान कर के उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किए जा सकते है । वेब–साइट से डाउन–लोड किये गये फार्म की स्थिति में प्रपत्र की फीस रू. 1140 / – का ड्राफ्ट या ई–पेमेन्ट द्वारा अलग से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करके भेजे ।

निविदाकर्ता अपनी निविदा **दिनांक 13.02.2015** को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत करेगा तथा उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव) खोला जाएगा, तथा सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाकर ऐसे सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) बाद में खोला जाएगा उसकी सूचना सफल निविदाकर्ताओ को भिजवायी जावेगी ।

बयाना राशिः रूपये 74,060 / – (रूपये चोहत्तर हजार साठ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट / ई–पेमेन्ट द्वारा बयाना राशि के रूप में आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, जयपुर के नाम से देय हो निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी ।

पात्रता –निविदा प्रपत्र के क्लाज संख्या 4.00 के अनुसार ।

नोट– जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो, उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो, तो ऐसे निविदाकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन–अनुबन्ध)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

लिग्नाईट एसबीयू–पीसी कार्यालय
खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम,
जयपुर –302005 (राज.)
फोनः 0141–2227938, 2227947, 2227627
फैक्सः 0141–2227761

रजिस्टर्ड कार्यालय –
आर.एस.एम.एम.लिमिटेड,
सी–89–90, जनपथ, लालकोठी स्कीम,
जयपुर–302015 (राज.)

निविदा संख्याः एफ.6(1)245 / CC / 2014 / 8 दिनांक : 11.12.2014

निविदा प्रपत्र

1.0 **कसनऊ–मातासुख खदान**

कसनऊ–मातासुख लिग्नाइट खदान, नागौर–फरड़ोद–डीडवाना सड़क पर नागौर से लगभग 45 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । यह सड़क अच्छी हालत में है व सार्वजनिक निर्माण विभाग (राज0) व कम्पनी द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है । सड़क की वास्तविक स्थिति का संविदाकर्ता स्वयं स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् ही दर प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

2.0 **वाहन एवं कार्य क्षेत्र**

2.1 एक मिनी बस (नोन एसी–डीजल) किराये पर लेने हेतु जिसका मॉडल वर्ष 2014 या बाद का होना आवश्यक है तथा जिसकी सवारी क्षमता कुल 21 सीटर जिसमें चालक एवं हेल्पर की सीट भी शामिल है ।

2.2 कम्पनी के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नागौर से कसनऊ–मातासुख खदान पर ड्यूटी हेतु लाना एवं ड्यूटी के पश्चात् वापस नागौर लाना ।

2.3 निविदा में वर्णित बस का उपयोग कर्मचारियों को सामान्यतय निर्धारित मार्ग द्वारा नागौर से कसनऊ–मातासुख खदान तक लाना व ले जाना होगा जिसका एक ट्रिप 100 ± 5 कि.मी. दोनों तरफ (आना व जाना) का माना जाएगा ।

2.4 मिनी बस प्रति कार्य दिवस में (03) तीन ट्रिप (फेरे) करेगी ।

2.5 बस का रूट वर्तमान में नागौर लिग्नाईट आफिस, सैनिक बस्ती–इंदिरा कालोनी, भास्कर हास्पिटल चौराहा, मानासर चौराहा, हाउसिंग बोर्ड (सैक्टर 1 एवं 2), विजय वल्लभ चौराहा, फरदोद होते हुये उक्त खदानों तक के लिए आने व जाने के लिए होगा ।

3.0 **स्वामित्व**

3.1 कम्पनी को एक (01) मिनी बस (नोन एसी–डीजल) जिसके पीछे के एक्सल पर चार पहिये हों की किराये पर नियमित आवश्यकता है । अतः निविदाकर्ता के स्वयं / फर्म के किसी एक या अधिक साझीदार के नाम पर बस का पंजीकृत होना आवश्यक है । बस वर्ष 2014 अथवा बाद का मॉडल की होनी चाहिए ।

3.2 उपरोक्त क्लाज के अनुसार स्वयं की बस उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निविदाकर्ता को एक शपथ–पत्र देना होगा कि उसके पक्ष में कार्य स्वीकृत होने पर वह कार्यादेश जारी होने की तिथि से 20 (बीस) दिन के अन्दर उक्त बस उपलब्ध करवा देगा तथा क्लाज 9.5(ग) के अनुसार प्रस्तावित बस सम्बन्धित सभी विवरण इस कार्यालय को सूचित करेगा, अन्यथा कम्पनी को उसकी बयाना राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।

3.3 बस में बैठने की क्षमता कम से कम 21 सीटें, जिसमें की वाहन चालक की सीट भी सम्मिलित है की मिनी बस (नोन एसी–डीजल) होनी चाहिए । 21–सीटर से अधिक क्षमता की मिनी बस भी स्वीकार्य होगी ।

4.0 **पात्रता**

निविदा प्रपत्र में संलग्न परिशिष्ठ–स के अनुसार निविदाकर्ता को 100/– रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सम्बन्धित कार्यादेश जारी होने की स्थिति में निविदा प्रपत्र की शर्तों के अनुसार सफलता पूर्वक कार्य सम्पादन करने वास्ते शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिये । उक्त शपथ पत्र को निविदा के प्रथम भाग के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, इस शपथ पत्र के प्रस्तुत न करने की अवस्था में निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को खोलने योग्य नहीं माना जावेगा ।

5.0 **संविदा प्रस्ताव (दरों) की मान्यता**

निविदा का प्रस्ताव (दरें) निविदा खोलने की तिथि से 180 दिवस (6माह) तक मान्य होंगे ।

6.0 **कार्य अवधि**

कार्य की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से तीन **(03) वर्ष** होगी। कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात् ट्रांसपेरेन्सी एक्ट के तहत आपसी सहमति से कार्य के 50% तक अनुबन्ध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, जिसके अधिकार आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के पास होंगे।

7.0 **बयाना राशि**

7.1 संविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ रूपये 74,060/–का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई–पेमेन्ट बयाना राशि के रूप में, जो कि आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, जयपुर के नाम से देय हो संलग्न करना आवश्यक है ।

7.2 बिना बयाना राशि के संविदा प्रपत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत नहीं किये जाएंगे ।

7.3 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7.4 असफल संविदाकारों की बयाना राशि सफल संविदाकार को कार्य आदेश दिये जाने तथा कार्यारम्भ करने के पश्चात् लौटा दी जाएगी ।

7.5 सफल संविदाकार की बयाना राशि को धरोहर राशि में समायोजित किया जा सकेगा।

7.6 उपरोक्त के अलावा निविदाकर्ता द्वारा ई–पेमेन्ट द्वारा बयाना राशि का भुगतान भी किया जा सकता है, जिसके लिये आरएसएमएम लिमि. के बैंक खाते इत्यादि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Name of beneficiary	RSMM LTD., JAIPUR	RSMM LTD., JAIPUR	RSMM LTD., JAIPUR
Name of Bank	**Axis Bank**	**ICICI Bank**	**HDFC Bank**
Bank Location	Malviya Nagar, Jaipur	Khanij Bhawan, Tilak Marg,Jaipur	Aditya Tower, New Sanganer Road, Jaipur
Type of Account	C.D.	C.D.	C.D.
C.D. Account No.	**010020036634989**	**678605000722**	**18437630000803**
IFSC Code	**UTIB 0000626**	**ICIC 0006786**	**HDFC 0001843**

निविदाकर्ता को बयाना राशि अन्तिम तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा एवं इस हेतु बैंक के संबंधित रेफरेन्स आईडी नम्बर की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा ।

7.7 अगर सफल संविदाकार कार्यादेश जारी करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ नही करता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी व उसकी संविदा निरस्त कर दी

जाएगी तथा ऐसे संविदाकार भविष्य में कम्पनी की किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे ।

8.0 **अमानत राशि/धरोहर राशि**

8.1 अमानत/धरोहर राशि कुल संविदा राशि (contract amount) की पाँच (05) प्रतिशत होगी ।

8.2 बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात संविदाकार को बकाया अमानत/धरोहर राशि डी.डी./ई–पेमेन्ट के रूप में कार्य आदेश/सहमति पत्र देने के पन्द्रह (15) दिन के अन्दर जमा करानी होगी ।

8.3 अगर संविदाकार कार्य करने में विफल रहता है तो कम्पनी अपने विवेक से अमानत/धरोहर राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी ।

8.4 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि संविदाकार का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा उसके कारण कम्पनी को किसी प्रकार की हानि होने पर अमानत/धरोहर राशि में से हानि की निर्धारित रकम काट कर भरपायी कर ली जायेगी । ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप अमानत/धरोहर राशि में कोई कमी रहती है तो उसकी पूर्ति संविदाकार के मासिक बिलों में से की जा सकेगी ।

8.5 अमानत/धरोहर राशि संविदा के समाप्त होने के पश्चात लौटा दी जाएगी, बशर्ते कि संविदाकार ने सभी प्रकार की कटौतियाँ, श्रमिकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया हो एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया हो ।

8.6 अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

9.0 **निविदा प्रपत्र को भरना**

निविदा प्रपत्र दो (02) भागों में भरा जायगा, जोकि निम्न प्रकार से हैं :–

प्रथम भाग– तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part)

द्वितीय भाग– कार्य की दरें (Rate Part)

9.1 निविदाकर्ता को स्थान, मार्ग के कच्चे/पक्के, दूरी आदि के बारे में संविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वंय को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना होगा, ताकि कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियॉ/संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेगें । निविदा में निविदाकर्ता द्वारा लिखी गई किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं होगी एवं ऐसी परिस्थिति में निविदाकर्ता द्वारा भरी गयी निविदा को निरस्त भी किया जा सकता है ।

9.2 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

9.3 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र की शर्तो की स्वीकृति हेतु **प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद मय सील के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है ।**

9.4 निविदाकर्ता अपनी निविदा दोनों भागों के लिए अलग अलग लिफाफे में सील बंद करके प्रस्तुत करेगा तथा दोनों लिफाफों पर स्पष्ट रूप से भाग का नाम, निविदा संख्या, निविदा खोलने की तारीख, निविदाकर्ता का नाम व पता लिख कर दोनों को एक अन्य तीसरे लिफाफे में सील कर निर्धारित तिथि को अपरान्ह **3.00** बजे तक कंपनी के खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा । निर्धारित तिथि को **3.30** बजे अपरान्ह उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों (स्वयं के उपस्थित न होने पर प्रतिनिधित्व का प्रमाण पत्र वांछित है) के समक्ष खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर स्थित कार्यालय में निविदा का प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक भाग खोला जाएगा । इसके पश्चात कम्पनी द्वारा प्राप्त निविदाओं के तकनीकी वाणिज्यिक भाग का परीक्षण किया जाकर तथा इसमें सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा । ऐसे सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा । सफल निविदाकर्ताओं को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से पत्राचार या अन्य माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा ।

9.5 **प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक भाग (मय परिशिष्ठ–अ एवं ब)**

इसमें निविदाकर्ताओं को निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक है :–

क. वांछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई–पेमेन्ट द्वारा किये गये भुगतान का विवरण ।

ख. प्रथम भाग – निविदाकर्ता के संबंध में सूचना

i) निविदाकर्ता का नाम, पता, टेलिफोन नं0, मोबाइल नं., फैक्स नं0 इत्यादि की जानकारी ।

ii) फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) की सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति ।

iii) पात्रता के संबंध में क्लॉज संख्या 4.00 के अनुसार वांछित शपथ पत्र।

iv) पी.एफ. खाता नम्बर की फोटो प्रति या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

v) परिशिष्ट–स के अनुसार निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्ते नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग देनी होगी।

vi) निविदाकर्ता एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अन्तर्गत पंजिकृत हो तो रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति ।

vii) सर्विस टैक्स के बाबत निविदाकर्ता द्वारा यदि किसी भी प्रकार का अबेटमेन्ट, संबंधित सर्विस टैक्स विभाग से लिया जाता हो तो निविदाकर्ता को (अपने लेटर ह्वेड पर) निविदा प्रपत्र के क्लाज संख्या 12.0 के अनुसार अण्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगी (परिशिष्ठ–द) ।

viii) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न परिशिष्ठ संलग्न किये हैः–

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest
Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process and Form No.1
Annexure D: Additional Conditions of Contract

नोट– **Annexure B** में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है ।

ग. **बस के संबंध में** :–

i) स्वयं या फर्म के भागीदार के स्वामित्व वाले कलैण्डर वर्ष 2014 अथवा बाद के मॉडल की मिनी बस (21–सीटर) के रजिस्ट्रेशन की सत्यापित फोटो प्रति या प्रपत्र (परिशिष्ठ–ब) के अनुसार 10 रूपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र ।

ii) कंपनी में लगाए जाने वाली प्रस्तावित बस के अंदर से तथा बाहर से लिए गए फोटो चित्र ।

iii) बस का कम्प्रेहेंसिव बीमे की सत्यापित फोटो प्रति ।

iv) बस के रोड परमिट की सत्यापित फोटो प्रति ।

v) बस के चुकता रोड टैक्स इत्यादि की सत्यापित फोटो प्रति ।

vi) बस के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए फिटनेस प्रमाण–पत्र की सत्यापित फोटो प्रति ।

उपरोक्त 'क' 'ख' एवं 'ग' भाग मिलाकर पूरा **तकनीकी–वाणिज्यिक भाग** होगा व इन्हें लिफाफे में बंद कर, **लिफाफे पर तकनीकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव** तथा निविदा की

संख्या, निविदा खोलने की तारीख और निविदाकर्ता का नाम व पता लिखकर कर प्रस्तुत करने होंगे ।

9.6 **द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part)**

कार्य की दरें परिशिष्ठ–र में भरनी है, जो कि अलग लिफाफे पर **"कार्य की दरें प्रस्ताव"** निविदा संख्या, निविदा खोलने की तारीख व निविदाकर्ता का नाम और पता लिखकर दूसरे लिफाफे में बंद कर प्रस्तुत करनी होगी, जोकि तकनीकी–वाणिज्यिक भाग के लिफाफे के साथ मिलकर तीसरे लिफाफे पर निविदा संख्या, निविदा खोलने की तारीख, निविदाकर्ता का नाम व पता लिखकर लिफाफे को सीलबन्द किए जाकर प्रस्तुत किये जाएगें ।

10. निविदाओं का मूल्यांकन एवं कार्य आदेश

10.1 सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा। उचित दर पाये जाने पर न्यूनतम प्रस्ताव को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा। यदि न्यूनतम दर प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं हो तो कम्पनी द्वारा इस निविदा प्रपत्र के क्लाज 11.1 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है ।

10.2 निविदाकार को कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश को अपनी स्वीकृति लिखित में देनी होगी तथा बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया अमानत राशि डी.डी./ई.पेमेण्ट के रूप में कार्य आदेश देने की तिथि से पन्द्रह (15) दिन के अन्दर जमा करानी होगी एवं निर्धारित तिथि से कार्य प्रारम्भ करना होगा ।

10.3 सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यादेश की स्वीकृति के पश्चात 30 (तीस) दिन में कम्पनी के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होगें, जोकि इस निविदा की शर्तों, स्वीकृत दरों आदि पर आधारित होगा ।

10.4 सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी होने के पश्चात संविदाकार/संविदाकर्ता माना जावेगा ।

10.5 संविदाकार द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही कम्पनी द्वारा संविदाकर्ता के बिलों का भुगतान किया जायेगा । संविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध हेतु अपेक्षित मूल्य का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा तथा कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने होगें ।

11. नेगोशियेशन

11.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L_1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है । न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित **काउन्टर ऑफर** द्वारा न्यूनतम निविदा कर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है, और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्यादेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है ।

11.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है, तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।

11.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमे की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

12. TAXES:

Service Tax:

(i) The tenderer shall quote the rates **exclusive** of service tax.

In case the tenderer (other than a company) is availing any abatement, then the entire service tax payable & applicable i.e. 40% of value will be deposited by the Company. An Undertaking of availing service tax abatement shall be submitted by the tenderer with part-I of the tender. In case of non submission of same it will be considered that the tenderer is not availing abatement of service tax and **lowest bidder will be determined considering additional service tax liability on the service provider**.

In case the tenderer (other than a company) is not availing abatement on service tax, then 60% value of service tax will be deposited by the contractor & later reimbursed by the Company subject to submission of documentary proof. Remaining 40% of service tax will be deposited directly by the Company. The present applicable rate of Service Tax is @ 12.36%.

However, it is to be noted that in case of bidders in the capacity of a company, the entire liability of deposition of service tax shall lie with the service provider, and therefore, the same shall be reimbursed by the Company subject to submission of documentary proof.

(ii) **Other Taxes**

The rate quoted by the contractor will be inclusive of all taxes (accept Service Tax), duties, levies as applicable on this contract (up to the last date of submission of bids). The rates quoted shall be on 'firm price' basis during the pendency of the contract period and the contractor shall not be eligible for any escalation (except as mentioned in the tender document) in the rates on whatsoever ground.

Any fresh imposition/variation in statutory duties, taxes or levies, made by statutory authorities after the last date of submission of bids will be reimbursed to contractor or recovered by the Company as the case may be. The reimbursement/recovery from/by the contractor will be made against submission of supporting documents for only such taxes/duties/levies that are directly applicable to the contract and reflected on his running bills.

The company shall fully entitle to deduct income tax and/or any other levies at sources as per the rules and instructions as may be applicable for this purpose from time to time.

13.0 बिलों का भुगतान

13.1 संविदाकार को बिलों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।

13.2 महिने का कार्य पूर्ण होने पर संविदाकार अगले माह की प्रथम सप्ताह में दो या अधिकतम 7 तारीख तक बिल दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

13.3 यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉग बुक की फोटो प्रति बिल के साथ कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।

13.4 साधारणतः मासिक बिलों का भुगतान वैधानिक कटौतियाँ करने के बाद एवं बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर अकाउन्ट–पेयी चैक के द्वारा कर दिया जाएगा ।

13.5 प्राकृतिक आपदा अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बस का उपयोग नहीं होने पर, ऐसी अवधि का कोई भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति या अन्य किसी प्रकार के दावे की राशि कम्पनी द्वारा देय नही होंगी ।

13.6 निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा ।

14.0 बस का उपयोग

14.1 बस का उपयोग सामान्यतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नागौर से खदानों के कार्यालयों पर लाने एवं ले जाने के लिए सभी पारियों में किया जाएगा (सकेगा) व सामान्यतः इसका मुख्यालय नागौर रहेगा, परन्तु प्रबन्धन द्वारा उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है ।

14.2 बस के उपयोग में कमी व वृद्धि (परिवर्तन) भी की जा सकती है । इस परिवर्तन की सूचना उपमहा प्रबन्धक (खनन)/इकाई प्रमुख, नागौर द्वारा सामान्यतः एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी । अपरिहार्य कारणों से यह परिवर्तन तुरन्त प्रभाव से भी लागू हो सकता है।

15.0 डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर

15.1 यदि डीजल की दरों में संविदा की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन किया जाता है, अर्थात् नागौर में डीजल की रिटेल बिक्री की दरों में बढ़ोतरी या कमी होती है तो निम्नलिखित फार्मूले (सूत्र) के अनुसार संविदा में वर्णित देय दरों में बढ़ोतरी अथवा कमी की जा सकेगी । वृद्धि अथवा कमी (एसकेलेशन अथवा डिएसकेलेशन) की गणना करने के लिए डीजल की मूल दर निविदा की प्रस्तुत दिनांक को लागू दर के आधार पर उस माह के लिए लागू होगी ।

$$\frac{(\text{डीजल की वर्तमान दर–निविदा में डीजल की मूल दर}) \times 100 \pm 5 \text{ कि.मी.प्रति ट्रिप)}}{09 \text{ कि.मी. प्रति लीटर}}$$

15.2 डीजल की दरों में पाँच (05) पैसे प्रतिलीटर तक की घटत–बढ़त का कोई प्रभाव नहीं दिया जायेगा ।

15.3 उपरोक्त घटत बढ़त केवल डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर ही उपर्युक्तानुसार लागू होगी । किसी अन्य सामग्री जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑयल एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की दरों में होने वाली घटत बढ़त का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

15.4 कार्य आदेश जारी होने पर संविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर नागौर में डीजल की प्रचलित दर जो कि डीजल रिटेल आउट–लेट के द्वारा जारी की गई हो, को महाप्रबन्धक (खनन्), आर.एस.एम.एम. लिमिटेड से प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

16.0 मिनी बस पर नियोजित चालक

16.1 बस के प्रत्येक ट्रिप के साथ केवल अधिकृत बस चालक ही नियुक्त होगा ।

16.2 बस चालक स्वस्थ, मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुशासित होने आवश्यक हैं । बस चालक की सूचना प्रबन्धन को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ठ–अ) में देनी होगी ।

16.3 बस चालक के पास ड्यूटी के दौरान परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया अधिकृत वैध बस चलाने का लाइसेंस, टोकन तथा वाहन के संपूर्ण प्रपत्र होने आवश्यक है ।

16.4 सामान्यतः बस चालक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए परन्तु चालक में परिवर्तन करने पर उसकी संपूर्ण पूर्व सूचना प्रबन्धन को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ठ–अ में देनी होगी ।

16.5 पारी के अंत में/दैनिक कार्य पूर्ण होने पर लॉग बुक में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी बस चालक की होगी तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लॉग बुक की जॉच करने के लिए मांगने पर बस चालक को लॉग बुक प्रस्तुत करनी होगी ।

16.6 बस चालक ड्यूटी के दौरान शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किए हुए पाया जाने पर उसे वाहन का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में अन्य वैकल्पिक व्यवस्था संविदाकार की जोखिम व लागत पर ही की जा सकेगी व इसका संपूर्ण भुगतान संविदाकार के मासिक बिलों में से कटौती करके किया जाएगा।

16.7 यात्रा के दौरान बस चालक की गलती से या अन्य किसी कारण से यदि उस पर कोई दंड किसी राजकीय विभाग द्वारा लगाया जाता है तो उसका भुगतान संविदाकार को करना होगा तथा ऐसी स्थिति में कर्मचारियों व अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था से गंतव्य स्थान पर यथा समय पहूँचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी ।

16.8 मिनी बस पर लगाए गए कर्मचारियों का वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान संविदाकार द्वारा देय होगा । यदि संविदाकार अपने कर्मचारियों का भुगतान प्रत्येक माह की सात (07) तारीख तक नहीं करता है तो कम्पनी को अधिकार होगा कि वह संविदाकार के मासिक बिलों में से कटौती करके बस पर लगाए गए कर्मचारियों को देय मासिक वेतन का भुगतान कर देवें ।

16.9 बस पर लगाए गए कर्मचारियों का व्यवहार अथवा कार्य उचित नहीं पाने पर संविदाकार को ऐसे कर्मचारियों को तुरन्त बदलना होगा ।

16.10 चालक को हिंदी पढ़ने लिखने का ज्ञान होना आवश्यक है ।

16.11 चालक व परिचालक के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को पुलिस वेरिफिकेशन संलग्न करना आवश्यक होगा।

17.0 बस के रख–रखाव संदर्भ में

17.1 मिनी बस कैलेण्डर वर्ष 2014 अथवा बाद के मॉडल की होना आवश्यक है।

17.2 शपथपत्र के अनुसार प्रपत्र–(परिशिष्ठ–ब) वाहन उपलब्ध करवाने पर नया वाहन ही मान्य होगा ।

17.3 बस रूट परमिट की होना चाहिए । यदि बस को बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो जिस बस की व्यवस्था संविदाकार द्वारा की जाएगी वह बस भी रोड़/रूट परमिट एवं मॉडल 2014 अथवा बाद की होना आवश्यक है । परमिट की एक सत्यापित/फोटो प्रति संविदाकार को कम्पनी में जमा करवानी आवश्यक होगी ।

17.4 संविदाकार को बस के साथ हर समय काम में आने वाले औजार, स्टेपनी एवं आवश्यक स्पेयर्स रखने आवश्यक होंगे । कम्पनी के यान्त्रिक अभियंता/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर इनका निरीक्षण किया जा सकेगा ।

17.5 बस की सीटें नई, उच्च क्वालिटी की, आरामदायक होना आवश्यक है तथा सीटे पूर्ण रूप से कवर एवं पर्दे इत्यादि सही हालत में लगे होना अनिवार्य है । इनके समय समय पर रखरखाव व व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी संविदाकार की होगी ।

17.6 किसी भी बस के रखरखाव/दुरूस्ती करवाने की दशा में उसके स्थान पर संविदाकार को उसी प्रकार की बस की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में प्रबन्धन को समय से पूर्व लिखित में अवगत कराना होगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो ।

17.7 यदि बस को लम्बे समय के लिए मरम्मत के लिए ले जाना है तो संविदाकार को इसकी पूर्व अनुमति प्रबन्धन से लिखित रूप में लेनी होगी तथा इस दौरान सुचारू वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । यदि संविदाकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है

तो कम्पनी संविदाकार की जोखिम व लागत (Risk & Cost) पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगी व इसका समायोजन संविदाकार के मासिक बिलों से किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रबन्धन रूपये 10000/–प्रति दिन तक पेनल्टी वसूल कर सकेगा ।

17.8 अनुबंध की अवधि के दौरान बस का रोड टैक्स/स्पेशल रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन, कम्प्रेहेंसिव बीमा, रोड परमिट इत्यादि वैध होने चाहिए व इन वैध प्रपत्रों की भी एक एक फोटो प्रतिलिपि संविदाकार प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । यदि राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी टैक्स संविदा की अवधि के दौरान बढ़ाया जाता है तो ऐसे समस्त बढ़े हुए टैक्सों का या कोई नया टैक्स लागू किया जाता है तो उसका भुगतान संविदाकार को स्वयं करना होगा व ऐसे भुगतानों के लिए कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

17.9 समय की पाबंदी इस संविदा का मुख्य आधार है । अतः, समय पर बस के खदान पर नही पहुँचने अथवा संविदाकार की लापरवाही से खदान पर उसकी सेवायें उपलब्ध नहीं होने पर प्रबंधन निम्नानुसार पेनल्टी लगाने के लिए स्वतंत्र होगा :–

अ.	बस का निर्धारित समय से पंद्रह (15) मिनट देर से आने पर	रू.150/–प्रति ट्रिप
ब.	बस के निर्धारित समय से आधा घंटा देर से आने पर	रू.250/–प्रति ट्रिप

स. यदि बस आधे घंटे से अधिक देरी से आती है तो उस ट्रिप का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

द. नहीं आने पर कम से कम 1500 रूपये प्रति ट्रिप या लागत एवं जोखिम के भुगतान की कटौति जो भी अधिक हो तथा उस ट्रिप का भुगतान नहीं होगा।

17.10 बस एक निश्चित समय–सारणी व निर्धारित मार्ग पर संचालित होगी जिसकी सूचना नागौर इकाई के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संविदाकार को समय पर दे दी जाएगी । यदि समय–सारणी व निर्धारित मार्ग में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसकी सूचना संविदाकार को उपलब्ध करा दी जायेगी ।

17.11 संविदाकार को बस की लॉग बुक सही हालत में रखनी होगी ।

17.12 बस को दुरूस्त रखना एवं सही समय पर उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी ।

17.13 बस का उपयोग पूर्णतः आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के लिए ही किया जाएगा । उक्त बस में केवल आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के कर्मचारी व अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे ।

17.14 बस को चलाने के संबंध में ईंधन, ऑयल, इत्यादि का खर्चा संविदाकर्ता को वहन करना होगा । बस के साथ में प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बाक्स (First Aid Box) आवश्यक औषधियों सहित संविदाकार को रखना अनिवार्य होगा ।

17.15 बस में अग्नि–शमन यन्त्र (Fire Extinguisher) का चालू हालत में होना आवश्यक है।

18.0 स्थानीय कार्यालय

संविदाकार को अपना स्थानीय कार्यालय नागौर में खोलना होगा तथा वहाँ पर किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी जो कि संविदाकार की तरफ से निर्णय लेने में सक्षम हो । ऐसे कार्यालय व नियुक्त किये गए व्यक्ति का विवरण संविदाकार को कंपनी में लिखित में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा नियुक्त व्यक्ति को सामान्यतः कम्पनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करना आवश्यक है ।

19.0 संविदा की समाप्ति

19.1 कार्य आदेश जारी होने की निर्धारित अवधि से 15 (पन्द्रह) दिन में कार्य आरम्भ न करने की स्थिति में कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है तथा अमानत/बयाना राशि जब्त की जा सकती है ।

19.2 यदि संविदाकार की सेवायें संतोषजनक नहीं है अथवा वह बस सात (07) दिन तक लगातार ड्यूटी हेतु उपलब्ध नहीं कराता है तो प्रबन्धन बिना कोई नोटिस दिए संविदा को समाप्त कर सकता है । इस प्रकार संविदा समाप्ति से यदि कंपनी को कोई हानि होती है व कम्पनी को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अतिरिक्त भुगतान करना पडता है तो भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार के किसी भी बकाया बिल अथवा अमानत राशि में से इसका समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगा । उक्त राशि समुचित नहीं होने पर शेष राशि विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा वसूली जा सकेंगी।

20.0 **संविदाकार द्वारा अपील करना**

यदि निविदाकर्ता, प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो एनेक्सर–सी (Annexure-C) के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी जो कि प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.एम.एम. लिमिटेड, 4, मीरा मार्ग, उदयपुर (राज.) व द्वितीय अपील अधिकारी जो कि खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर है के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन सलंग्न Form No.1 (see rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है ।

21.0 **न्याय क्षेत्र**

इस संविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उस हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर न्यायालय ही रहेगा ।

22.0 **विविध**

22.1 संविदाकार कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952, बोनस संदाय अधिनियम 1965, उपदान संदाय अधिनियम 1972, मोटर यान अधिनियम 1988, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, फेटल एक्सीडेन्ट एक्ट 1855, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ठेका श्रम (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) अधिनियम 1970 एवं अनुबन्धित कार्य पर लागू समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों, नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगा । इसमें उक्त अधिनियमों/नियमों में समय समय पर किये गये संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिये भी संविदाकार पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगा । निर्धारित कार्य अवधि के दौरान वाहनों के किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सभी संबंधित जिम्मेदारी, जिसमें सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है, संविदाकार की होगी ।

22.2 संविदा लागू होने की स्थिति में संविदाकार को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और संविदाकार द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा । संविदाकार ऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ. ट्रस्ट में जमा कराएगा । कम्पनी के पी.एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का 1.15ः प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा । इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्यनिधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी । चूँकि संविदाकार के द्वारा चूक होने की स्थिति में कंपनी को वह राशि संविदाकार की ओर से जमा करानी होगी अतः संविदाकार उस राशि का कंपनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा । कंपनी संविदाकार की ओर से किये गये ऐसे

अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी । संविदाकार ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा । कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को संविदाकार उपलब्ध कराएगा । श्रमिकों से संबंधित समय समय पर समूह महा प्रबन्धक/उपमहा प्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, भविष्य निधि, अनाधिकृत कटौतियाँ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्तें, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा ।

22.3 सफल निविदाकार कर्मचारियों से सम्बन्धित कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 मोटर यान एक्ट 1988, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 के अन्तर्गत दिये गये नियमों, उपनियमों में समय समय पर किये गये संशोधनों की निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे ।

प्रबन्धक (कार्मिक एवं प्रशासन–अनुबन्ध)

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा

मैं/हम ..... यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

निविदा संख्याः एफ.6(1)245/CC/2014/8 दिनांक : 11.12.2014

प्रथम भाग

तकनीकी एवं वाणिज्यिक

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए ।

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1.	वाँछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि अथवा ई–पेमेन्ट द्वारा भुगतान का विवरण ।	
2.	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फैक्स/ ई–मेल इत्यादि ।	
3.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजियन संख्या एवं यदि साझेदारी है तो डीड की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
4.	निविदा प्रपत्र में क्लाज संख्या 4.0 के अनुसार पात्रता के संबंध में वांछित शपथ–पत्र ।	हाँ/नहीं
5.	संविदाकर्ता को एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये संलग्न शपथ पत्र ।	हाँ/नहीं
6.	पी.एफ.कोड या शपथ पत्र ।	हाँ/नहीं
7.	सर्विस टैक्स नं. की प्रति ।	हाँ/नहीं
8.	Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications के अनुसार वांछित घोषणा ।	हाँ/नहीं
9.	यदि निविदा प्रपत्र को वेब–साईट से डाउन–लोड किया है तो निविदा प्रपत्र का शुल्क विवरण ।	डी.डी. नं. ..... रू. ..... दिनांक .....

दिनांक : हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

संलग्न :–

घोषणा

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तों एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्तें हमें स्वीकार्य हैं । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure-B

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ……. For procurement of ……. in response to their Notice Inviting Bids No. …… ……. Dated …….. I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date — Signature of bidder

Place — Name:

Designation:

Address:

Annexure-C

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Grievance Redressal during Procurement Process.

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Managing Director,
RSMM Limited,
4-Meera Marg, Udaipur (Raj.)

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Mines Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur.

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(see rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ……. of …….
Before the …….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : …….
   ……
   ……..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: …….
   ……
   ……..

   Place ……..
   Date ……..
   Appellant's Signature

Annexure-D

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

परिशिष्ठ–अ

प्रारूप

निविदाकार द्वारा नियोजित मिनी बस पर नियुक्त चालक एवं हेल्पर का विवरण

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. नामांकित व्यक्ति
7. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
8. यात्री वाहन का बैज नं.
9. ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी (भारी वाहन चालक)
10. शैक्षणिक योग्यता
11. कार्यानुभव एवं प्रमाण

निविदाकार के हस्ताक्षर——————————————
एवं दिनांक

(To be typed on non-judicial stamp paper of Rs.10/-)

परिशिष्ठ–ब

प्रारूप

शपथ पत्र

मैं..... पुत्र.....जाति .....
निवासी ..... तहसील.....
जिला.....(राज0) शपथ पुर्वक बयान करता हूँ –

1. कि यदि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की निविदा संख्याः निविदा संख्या एफ.6(1)245/CC/2014/8 दिनांक 11.12.2014 के तहत मेरे पक्ष में कार्य स्वीकृत होता है तो मैं 30 (तीस) दिवस के अन्दर–अन्दर मिनी बस 21–सीटर आपको उपलब्ध करवा दूँगा ।

2. यह है कि यदि मैं 15 (पंद्रह) दिवस के अन्दर मिनी बस मॉडल 2014 अथवा बाद की उपलब्ध नहीं करवा पाता हूँ तो मेरी बयाना राशि रूपये 74,060/– जब्त करने का पूर्ण अधिकार कम्पनी को होगा ।

ह. निविदाकर्ता

तस्दीक

मैं तस्दीक करता हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं सत्य हैं । इति दिनांक

ह. निविदाकर्ता

परिशिष्ठ–स

प्रारूप

(रू.100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है)

शपथ पत्र

मैं .....,,,,,,,,,,,,,पुत्र,,,,,,,,,,,,,.....,,,,,,,,,,,.जाति ,,,,,,,.....आयु.....निवासी गाँव/कस्वा/मोहल्ला, मकान नं0.....,,,,,,,,,,,,,

Undertaking

I/We in respect of submission of tender to the RSMM Ltd. hereby declare as under:-

1. We confirm that we have not put any other deviations to the tender terms & conditions.

2. We have not been banned/ debarred/ suspended by the RSMM Ltd. in past for any reason/default.

3. No Legal case is pending with RSMML.

4. I hereby declare that the service tax component on this work if awarded to me will be……% on ……% of work value as per applicable rules of Service Tax.

( )
Signature of tenderer

Name and seal of tenderer

Date:
Place:

परिशिष्ठ–य

(On the letter head of the tenderer)

DECLARATION

Declaration for Registration under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

1. Whether the tenderer is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006._____(Yes/NO)

2. If yes, please furnish the declaration given below.

   We (Name of Tenderer_____), hereby declare that, our organization is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 as _____ (Micro, Small & Medium) Enterprises.

3. Enclose attested copy of registration certificate.

4. Whether the tenderer is also registered as S.S.I. units, if yes, enclose copy of registration certificate.

Signature of tenderer with stamp

Date:
Place:

परिशिष्ठ–र

(TO BE TYPED THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 10/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

I……S/o Shri …… aged…… year, resident of …… on behalf of the tenderer i.e. M/s …… …… hereby undertake oath and state as under:-

1) That I have submitted a tender for Hiring of Bus.

2) That I/We have gone through the temrs & conditions of the tender document.

3) That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequenbt amendments & notifications, in respect of the employees engaged for the work, are not applicable on me/us (i.e. tenderer/contractor).

4) That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of Employees Providnet Fund and Miscellaneous Provisons Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioner.

Deponent
(Authorised Signatory)

VERIFICATION

I/We the above deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, that no part of it is wrong, that nothing material has been concealed, so help me God.

Deponent
(Authorised Signatory)

परिशिष्ठ–ल

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

निविदा संख्याः एफ.6(1)245 / CC / 2014 / 8 दिनांक : 11.12.2014

दर प्रस्ताव ; (Rate Part)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना होगाः–

बस का विवरण	बस के चलने की दूरी	दर रूपये प्रति ट्रिप (रूपये अंकों व शब्दों में)
कसनाऊ–मातासुख लिग्नाईट परियोजना पर इक्कीस (21) सीट क्षमता की एक (01) मिनी बस किराये पर लेने हेतु जोकि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नागौर से खदान पर सामान्य एवं अन्य पारियों में लाने एवं ले जाने के लिए प्रयुक्त होगी एवं जिसका एक ट्रिप (आना–जाना) 100±5 कि.मी. का माना जाएगा, । **मॉडल वर्ष 2014 (कलेण्डर वर्ष) अथवा बाद का रजिस्ट्रेशन नं. .....**	एक ट्रिप 100± 5 कि.मी. का माना जाएगा तथा एक बस प्रति कार्य दिवस केवल तीन (03) ट्रिप (फेरे) करेगी । अतः प्रति ट्रिप की दर । आवश्यकता पड़ने पर कभी–कभी ट्रिप की संख्या कम भी की जा सकती है।	रूपये (अंको में)..... .... रूपये (शब्दों में)..... .....

नोटः

1. अंकों व शब्दों में लिखी गई दरों में विरोधाभास होने पर शब्दों में लिखी गई दरें ही मान्य होगी
2. उपरोक्त दरों में सर्विस टैक्स को शामिल नहीं किया गया है । निविदाकर्ताओं से क्लाज संख्या 12.0 में वर्णित सर्विस टैक्स संबंधी प्रावधान को अच्छी तरह से पढ़ व समझ कर उपरोक्त दर प्रस्ताव को भरना अपेक्षित है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर ——————————————

निविदाकार का नाम व पद ——————————————

पता ——————————————

——————————————

——————————————

टेलिफोन नं0 ——————दिनांकः ————